



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2025/D-1

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 254703 दिनांक 25/09/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Chameli Devi W/o Jagdish	मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री मुकुट बिहारी शर्मा	113	250.00 SQ. YARD	Cooperative	MARUTI NAGAR	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की मारुती नगर के भू.स. 113 क्षेत्रफल 250.00 व.ग. का आवंटन पत्र सर्वप्रथम श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री मुकुट बिहारी शर्मा के पक्ष में दिनांक 22.03.1981 को जारी किये गये। श्री मुकुट बिहारी शर्मा, श्रीमती ललिता देवी, श्रीमती मीना शर्मा, श्रीमती ममता अवस्थी, श्रीमती मंजू शर्मा एवं श्रीमती अदिती शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								दिनांक 04.09.2015 के द्वारा श्री विश्वनाथ शर्मा पुत्र श्री मुकुट बिहारी शर्मा को कर दिया गया। मूल आवंटी की मृत्यु दिनांक 09.05.1999 हो जाने से उनकी माता श्रीमती ललिता देवी पत्नी स्व. श्री मुकुट बिहारी शर्मा ने एकमात्र जीवित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान श्रीमती चमेली देवी पत्नी श्री जगदीश कुमार के पक्ष में दिनांक 25.03.2023 को किया। आवेदिका श्रीमती चमेली देवी द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।
--	--	--	--	--	--	--	--	--



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Chameli Devi W/o Jagdish को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |